JAI NARAIN VYAS UNIVERSITY, JODHPUR
TEPSE & HEPSN CENTRE
(Affiliated to Rehabilitation Council of India, New Delhi)

Director
Dr Umaid Raj Tater

Behind K.N.College for Women
Near Gaushala Maidan
Jodhpur-342001
Off.0291-2511166/77
Mb: 9414719807

No.JNVU/T&H/2021/6284 **Date:14/07/2021**

टेप्से एवं हेप्सन केन्द्र

निविदा सूचना सं 6284 / 2021–22

टेप्से एव हेप्सन केन्द्र में वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 हेतु केन्टीन संचालन के लिए योग्य अनुभवी संचालक **विकलांग** जो नगरनिगम / चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग / रसदविभाग द्वारा स्वीकृत हो उसका रजिस्ट्रशन प्रमाणपत्र होने के साथ–साथ वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा आवंटित TIN No.अथवा GST No.हो से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जातीहैं। निविदायें निम्न हस्ताक्षर कर्ता के पास दिनांक 22.07.2021 को सायं 4.00 बजेतक धरोहर राशि रूपये 200 / – (जो कुलसचिव, जयनारायण व्यासविश्वविद्यालय, जोधपुर के नाम देय हो) के साथ प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा की शर्तें कार्यालय दिवस में दोपहर 3 से 4 बजे के बीच संकाय प्रभारी कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

(Dr. Umaid Raj Tater)

DIRECTOR
TEPSE & HEPSN CENTRE
Jai Narayan Vyas University
Near K. N. College,
Gaushala Maidan Road,
Jodhpur-342 006 (Raj.)

टेप्से एंड हेप्सन केन्द्र,
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

वर्ष – 2021–22 व 2022–23 का अल्पाहार (केन्टीन)

संचालन के नियम व शर्तें

1. केन्द्र संचालक को अल्पाहार संचालन हेतु केवल स्थान उपलब्ध करवायेगा तथा पंखे व ट्यूबलाईट और केन्टीन के अन्दर जो सामान पड़ा है, वही दी जायेगी। इसके अतिरिक्त कोई भी सुविधा नहीं दी जायेगी।
2. संचालक को विद्युत आपूर्ति व जल की सुविधा दी जायेगी। पानी व बिजली का बिल अलग से भरना पड़ेगा। पानी का बिल फ्लेट रेट रूप्ये 250 माह वार भरना पड़ेगा और अगर पी.एच.ई.डी. से पानी नहीं आता है तो पानी का भुगतान अपने स्तर से करना होगा, विश्वविद्यालय इसका भुगतान नहीं करेगा।
3. संचालक केन्टीन सत्र 2021–22 व 2022–23 तक संचालित करेगा।
4. संचालक धरोहर निविदा व सूचना अनुसार रूपये 5000 की एक एफ.डी.आर. प्रभारी हेप्से एवं टेप्से के नाम से जमा करवायेंगे जो कि सफलतापूर्वक संचालन के पश्चात् लौटा दी जायेगी।
5. संचालक को समिति द्वारा तय सामग्री की मूल्य पर ही सामग्री का विक्रय किया जायेगा किसी प्रकार की सामग्री का विक्रय समिति के स्वीकृति के बिना के नहीं होगा, मूल्य सूची का प्रकाशन परिसर में करना होगा तथा एक प्रति कार्यालय में देनी होगी विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा तय सामग्री एवं दर ऋतु अनुसार सामग्री का विक्रय संचालक को करना होगा।
6. सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना होगा जिसे समिति कभी भी जांच कर सकती है। सामग्री की गुणवत्ता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फूड ग्रेड के आधार पर करनी होगी।
7. इस केन्टीन में मात्र इस केन्द्र की आपूर्त्ति हेतु ही सामग्री बनाई जायेगी। खाद्य सामग्री बनाकर परिसर के बाहर नहीं भेजी जा सकेगी। केन्टीन में खाद्य सामग्री बनाने हेतु बाहर से सामान लाने व ले जाने का समय कार्यालय समय से आधा घण्टा पूर्व व पश्चात् ही रहेगा और स्वीकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेगा।
8. अल्पाहार परिसर की साफ सफाई की पूर्ण जिम्मेदारी संचालक की होगी। उसे परिसर को साफ रखना होगा। इसके लिये वह डस्टबिन भी लायेगा।
9. राज्य सरकार / केन्द्र सरकार व खाद्य विभाग द्वारा किसी प्रकार का कर लगाया जाता है तो वह संचालक की जिम्मेदारी होगी।
10. संचालक को प्रतिमाह दिनांक 10 के पूर्व मासिक किराया व बिजली पानी का बिल आधा करना होगा और उसकी रसीद प्राप्त करनी होगी अन्यथा अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
11. अग्रिम किराया बकाया रहने की सूरत में उस रकम पर 18 प्रतिशत ब्याज लगेगा। दो माह का किराया नहीं दिये जाने पर केन्द्र को एक तरफा यह अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध रद्ध कर दे तथा तुरंत परिसर खाली कर कब्जा प्राप्त कर ले जिस पर अनुबंधकर्ता को किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं होगा।
12. संचालक को किसी दूसरे व्यक्ति प्रबंधक को ठेका हस्तान्तर करने का अधिकार नही होगा।

13. समय पूर्ण होने पर प्रबन्धक को केन्टीन परिसर निदेशक को सुपुर्द करना होगा।
14. सभी मामलों में निदेशक / केन्द्र प्रभारी (हेप्से एवं टेप्सन केन्द्र) का निर्णय अन्तिम होगा।
15. विश्वविद्यालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि व किसी भी समय बिना कारण बताये संचालक का अनुबन्ध निरस्त कर सकता है।
16. परिसर में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं कर सकता है और अगर ऐसा करता है तो उसका अनुबंध रद्ध कर दिया जायेगा और उसका हर्जाना संचालक द्वारा विश्वविद्यालय को देना होगा।
17. किसी भी अवसर पर आदेश करने पर केन्द्र में लंच अथवा डीनर का आयोजन होने पर उसकी व्यवस्था करनी होगी, मेन्यू समय पर बता दिया जायेगा तथा उसकी न्यूनतम दर स्वीकृत करके निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
18. महाविद्यालय में जब भी कोई परीक्षाएं होंगी तब चाय आदि भी निर्धारित शुल्क पर देनी होगी।

Ummed Raj Tater

डॉ. उम्मेदराज तातेड
निदेशक

DIRECTOR
TEPSE & HEPSN CENTRE
Jai Narayan Vyas University
Near K. N. College,
Gaushala Maidan Road,
Jodhpur-342 006 (Raj.)